संख्या-715 /14-2-2021-800(85)/2019

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

पर्यावरण,**वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2** **लखनऊ, दिनांक** 26 **, 2022**

विषय- जनपद चंदौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नौगढ़ से चक्करघटा संपर्क मार्ग के किमी 00.00 से 7.50 किमी0 तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 6.75 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-2715/11 सी/एफपी/ यूपी/रोड/ 35276/2018, दिनांक 28.5.2021 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश सं0 एफ0एन0-11/1989/एफसी (एल0डब्लू0ई0), दिनांक 15-02-2018 के अनुक्रम में जनपद चंदौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नौगढ़ से चक्करघटटा संपर्क मार्ग के किमी 00.00 से 7.50 किमी0 तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 6.75 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति विषयक दिनांक 11.06.2020 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के आधार पर निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाती है -

1. The forest area involved is not within a National Park and/or a Wild Life Sanctuary.
2. User Agency (UA) shall explore all feasible alternatives to minimize use of forest land.
3. Forest land to be used shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable.
4. The UA will submit scheme for Compensatory Afforestation as per extant guidelines in the matter.
5. The UA shall pay the applicable NPV in pursuance of the orders of the Hon'ble Supreme Court.
6. In addition to monthly report of diversions of forest landunderGeneral Approval accorded by MoEF&CC, each State/UT Government shall submit half yearly reports for the period ending June 30 and December 31 containing details of all forest lands diverted under the General Approval along with the actual status of actual utilization of the forest lands so diverted for the stated purpose, to the MoEF&CC and its concerned Regional Office.
7. The diversions and compliance to the conditions will be monitored by the concerned Regional Office, MoEF&CC.

8. The legal status of the land shall remain unchanged.
9. The project site should be outside Protected Area Network and eco-sensitive zones (ESZ).
10. The user agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by Principal Chief Conservator for Forests and from State/UT Government
11. The Nodal Officer (Forest Conservator) shall submit monthly report to the concerned Regional office by 5th of every month regularly regarding approval of such cases.
12. The User Agency shall be responsible for ant loss to flora/fauna in the surroundings and therefore, shall take all possible measures in this regard.
13. The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal
14. Entire process for settlement of rights in accordance with the provisions of FRA, 2006 shall be completed before grant of approval for diversion of such forest land.
15. The State/UT Forest Department or State/UT Government or the concerned Regional Office, may impose any other condition from time to time in the interest of conservation, protection and/or development of forests

16 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में अपरिहार्य परिसिथति एवं न्यूनतम संख्या में वृक्षों का पातन वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा तथा पातन लागिंग आदि का व्यय प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

17 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ की रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी ताकि निकटवर्ती वनों की क्षति न हो।

18 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरो/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा ।

19 प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी जी रही समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण और दस वर्षो के लिए रख रखाव किया जायेगा ।

20 प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या- 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0), क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

21 उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्कता न रहेगी तो यथासिथति उक्त वनभूमि

अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथासिथति वापस प्राप्त हो जायेगी।

22 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा ।

22. भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/ 41/2006- IA-II\(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिशिचत करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृषिट से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग- अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।

24 समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

25 उपरोक्त के अतिरिक्त समय- समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा ।

26 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशों- निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करे, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shape) फाइल में दर्शाया गया हो।

27 भारत सरकार के द्वारा एन0पी0वी0 को रिवाइज कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के दिशा- निर्देश दिनांक 06.01.2022 एवं यथा संशोधित दिनांक 19.01.2022 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिशिचत किया जायेगा।

भवदीय
(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

3. उपवन महानिरीक्षक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
4. मुख्य वन संरक्षक पशिचमी वन्य जीव, कानपुर ।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी ।
6. जिलाधिकारी, चन्दौली ।
7. अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड (प्र0प0) लोक निर्माण विभाग, चन्दौली।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आर0पी0सिंह)
अनु सचिव